न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 57 / 2022

1मोहनलाल पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 सुनीता देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 सुमित्रा देवी पत्नी गोपालराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र मंगलराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 छीतरमल पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 नारायणराम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 बनारसी देवी पत्नी स्व. नारायणराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
5 गोकुलचंद पुत्र स्व. नारायणराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 पूर्णमल पुत्र स्व. नारायणराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
7 मुली देवी पुत्री स्व. नारायणराम पत्नी नरसीराम हाल निवासी सिरसुहाला तन झुन्झुनूं रोड़ उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
8 गीगल देवी पुत्री स्व. नारायणराम पत्नी सीताराम हाल निवासी ढाणी रावतावाली तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 केशरी देवी पुत्री स्व. नारायणराम पत्नी बाबूलाल निवासी हाल श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 शांति देवी पत्नी स्व. गोदाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली वार्ड नम्बर 13 तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 पतासी देवी पुत्री स्व. गोदाराम पत्नी लालचंद निवासी वार्ड नम्बर नया 34 उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
12 नाथूराम पुत्र स्व. गोदाराम जाति माली निवासी श्यामिहाली की ढाणी कृषि उपज मंडी के पास जयपुर रोड़ सीकर।
13 संतोष देवी पुत्री स्व. गोदाराम पत्नी चौथमल सैनी निवासी देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14 सोनी देवी पुत्र स्व. गोदाराम पत्नी पप्पूराम सैनी जाति माली निवासी देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15 सुरेश कुमार पुत्र स्व. गोदाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
16 आंची देवी पुत्री स्व. गोदाराम पत्नी दयालाराम जाति माली निवासी छाजणा स्टेड के पास तह खण्डेला जिला सीकर।
17 सावित्री देवी पुत्री स्व. गोदाराम पत्नी बनवारीलाल जाति माली निवासी छाजणा स्टेंड के पास तह खण्डेला जिला सीकर।
18 शंकरलाल पुत्र स्व. गोदाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
19 धुकलराम पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
20 जवाहर पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
21 मदनलाल पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
22 नन्दलाल पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
23 शारदा देवी पत्नी स्व. शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
24 विक्रम कुमार पुत्र स्व शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
25 सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
26 सुनील कुमार पुत्र स्व. शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

27 पिंकी कुमारी पुत्री स्व. शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
28 सावित्री देवी पुत्री स्व. शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
29 आंची देवी पुत्री स्व. शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
30 सोहन पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
31 प्रभाती देवी पुत्री भानाराम पत्नी गणपतराम निवासी चौकड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
32 सेडूराम पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। मृतक
32/1 गोपालराम पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
32/2 प्रभुदयाल पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
33 बोदुराम पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
34 रूकमा देवी पत्नी स्व. दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
35 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
36 बजरंग पुत्र स्व. दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
37 कमली पुत्री स्व दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
38 केशरी देवी पुत्री स्व. दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
39 सुशीला देवी पुत्री स्व. दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
40 सजना देवी पुत्री स्व. दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
41 झुन्झुनूं सहकारी बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

42 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबंधक।
43 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.03.2022 उपखंड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रकरण संख्या 194/2021 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उनवानी शीर्षक मोहनलाल वगै. बनाम महावीर प्रसाद वगै. अंतर्गत धारा 251 ए की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :
1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 2/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 194/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अ. धारा 251 ए प्रस्तुत किया। भूमि खसरा नम्बर 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 आवेदक व अनावेदक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

संख्या 5 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी की है। खसरा नम्बर 3044 से 3051, 3007, 3062, 3410/3061 अनावेदक संख्या 1 से 14 की खातेदारी की है। अपीलांट ने खसरा नम्बर 3006 में से रास्ते के लिए आवेदन किया। विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2015 प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने इस मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने एतराज पर सुनवाई कर दिनांक 24.07.2015 से एतराज को निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 4862/2015 प्रस्तुत की। माननीय मण्डल ने निर्णय दिनांक 27.09.2016 से निगरानी स्वीकार कर पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये। इसके उपरांत अप्रार्थी ने आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.07.2019 को आदेश 07 नियम 11 का आवेदन खारिज कर दिया। इस आवेदन के विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 3409/2019 प्रस्तुत की। जो माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 05.01.2021 से खारिज की गई है। इसके पश्चात दिनांक 09.03.2022 को तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन धारा 251 ए खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3059 है जो बाहमी बंटवारे में अपीलान्ट के हिस्से की भूमि है। अपीलान्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, अपीलान्ट के द्वारा अपनी खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3059 में छप्पर आदि बना रखे है उनमें अपने मवेशी रखता है, काश्त के समय बरसात आदि से सुरक्षा के लिए उक्त छप्परो का निर्माण किया। उक्त भूमि खसरा नम्बर 3059 रकबा 0.068 हैक्टेयर को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सेडूराम सामूहिक रूप से काश्त करते है उनके हिस्से में उक्त भूमि बंटवारे में आई है जिसके लिये अन्य खातेदारों का कोई विवाद नहीं है। रेस्पोडेन्ट 5 से 14 ने उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे में होने का कोई विरोध नहीं किया है बाहमी बंटवारे में उक्त भूमि अपीलान्ट के हिस्से में आना स्वीकार किया है जिसका विवाद नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा है कि भूमि खसरा नम्बर 3059 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

छान छप्पर व बड़ा बनाकर उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन में काम नहीं ले रहे है चूंकि विचारण न्यायालय ने बिना मौके देखे ही यह तथ्य दर्ज किया है मौका रिपोर्ट में यह तथ्य कही नहीं दर्शाया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 3059 काश्त के उपयोग में नहीं आ रही है। कोई भूमि काश्त के उपयोग में आ रही है या नहीं यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में खसरा नम्बर 3059 खातेदारी की भूमि दर्ज है जिसमें खातेदार को आने जाने के लिए रास्ता आवश्यक होता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 05.01.2021 प्रकरण संख्या 3409/2019 में यह स्पष्ट फाईडिंग जारी की है कि तहसीलदार स्वयं नियम 69(1) के नियम की पालना करते हुए स्वयं मौका का निरीक्षण करे। परन्तु तहसीलदार ने स्वयं ने मौके पर जाकर निरीक्षण रिपोर्ट नहीं बनाई है गिरदावर व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। जिसमें एक मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2015 के साथ तो मौका नक्शा भी तैयार नहीं किया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 3059 काश्त के उपयोग में नही आ रही है। अगर उक्त भूमि काश्त के उपयोग में नही है तो रेवेन्यू बोर्ड ने इसे धारा 251 के अंतर्गत प्रकरण को निर्धारण का आदेश भी दिया था उसकी भी पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने भूमि खसरा नम्बर 3060 में धारा 251 क का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करने के बाद गलत नियत से प्रस्तावित रास्ता की भूमि पर टेम्परेरी रूप से टीन शैड लगाया है जो अस्थाई है उस को हटाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वह भी प्रकरण दर्ज होने के बाद में किया है इसके अलावा भी रास्ते के लिए भूमि खाली है। उक्त आदेश में यह भी अंकन किया है कि उक्त भूमि से संबंधित प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है चूंकि राजस्व मंडल अजमेर में भी उक्त प्रकरण संख्या 2026/4 का फैसला भी दिनांक 22.04.2022 को हो गया है चूंकि भानाराम के वारिसान धुकलराम वगै. ने माननीय राजस्व मंडल अजमेर में जो अपील पेश की गई थी वह भी दिनांक 22.04.2022 को खारिज हो गई है अब कोई बिन्दु शेष नहीं है। पक्षकारों के मध्य विभाजन होकर जमाबंदी में अंकन हो गया है। इस संदर्भ में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022(1) पेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

555, आरआरटी 2024(11) पेज 968, आरआरटी 2023(1) पेज 490 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदक व अनावेदकगण ने अपनी भूमि का विभाजन नहीं कर रखा है। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व अनांवेदक की शामलाती खातेदारी भूमि बाबत विभाजन हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वाद संख्या 2026/2004 लंबित है। जिसमें मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु स्थगन आदेश प्रभावी है। आवेदक के आने जाने हेतु पगडण्डी मौजूद है। जो खसरा नम्बर 3043, 3042, 3044, 58 की सीमा से होता हुआ आवेदक व अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 14 के खेत खसरा नम्बर 3059 में से होती हुई आगे खेतों में चली जाती है। जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त के खसरा नम्बर 3060 में मुख्य शाकम्भरी सड़क के समानान्तरण पक्का निर्माण शुदा मकान व टीनसैड बना हुआ है, जो तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त नई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 से स्पष्ट है। अगर अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 3060 में से कोई रास्ता निकाल दिया जाता है तो अनावेदक संख्या 2 के आवासीय मकान को तोड़ना पड़ेगा। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व आवेदक तथा अनावेदकगण 12, 13, 14 के मध्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 2026/2004 विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है। आवेदक ने खसरा नम्बर 3059 को अपना स्वयं का बताया है बल्कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण 1 लगायत 4 के मध्य भी संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 28/2014 विचाराधीन है जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र मु.नं. 281/2014 प्रभावी है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये कस्बा उदयपुरवाटी में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3059 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिणी हिस्से में नजरी नक्शें में दर्शित ए से बी स्थान तक 10 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 की खातेदारी शामलाती है जिसमें एक पर्टिकुलर खसरा नम्बर 3059 के लिए प्रार्थी ने रास्ता चाहा है। उक्त भूमि का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। शामलाती खातेदारी की भूमि में एक बहुत ही अल्प हिस्से के लिये एक सहखातेदार द्वारा अविभाजित विशिष्ट भू–भाग की भूमि के लिये रास्ता की मांग विभाजन के बाद कर सकता है। खसरा नम्बर 3060 में यहां से रास्ता चाहा गया है, उस स्थान पर तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट अनुसार दीवार एवं टीन सेड बना हुआ है। आवेदक भूमि खसरा नम्बर 3059 में छान छप्पर व बाड़ा बनाकर रह रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अ. धारा 251 ए प्रस्तुत किया। भूमि खसरा नम्बर 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 आवेदक व अनावेदक संख्या 5 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी की है। खसरा नम्बर 3044 से 3051, 3007, 3062, 3410/3061 अनावेदक संख्या 1 से 14 की खातेदारी की है। अपीलांट ने खसरा नम्बर 3006 में से रास्ते के लिए आवेदन किया। विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2015 प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने इस मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने एतराज पर सुनवाई कर दिनांक 24.07.2015 से एतराज को निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 4862/2015 प्रस्तुत की। माननीय मण्डल ने निर्णय दिनांक 27.09.2016 से निगरानी स्वीकार कर पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये। इसके उपरांत अप्रार्थी ने आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.07.2019 को आदेश 07 नियम 11 का आवेदन खारिज कर दिया। इस आवेदन के विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 3409/2019 प्रस्तुत की। जो माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 05.01.2021 से खारिज की गई है। इसके पश्चात दिनांक 09.03.2022 को तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन धारा 251 ए खारिज किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त के खसरा नम्बर 3060 में मुख्य शाकम्भरी सड़क के समानान्तरण पक्का निर्माण शुदा मकान व टीनसैड बना हुआ है, जो तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त नई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 से स्पष्ट है। अगर अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 3060 में से कोई रास्ता निकाल दिया जाता है तो अनावेदक संख्या 2 के आवासीय मकान को तोड़ना पड़ेगा। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व आवेदक तथा अनावेदकगण 12, 13, 14 के मध्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 2026/2004 विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है। आवेदक ने खसरा नम्बर 3059 को अपना स्वयं का बताया है बल्कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण 1 लगायत 4 के मध्य भी संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 28/2014 विचाराधीन है जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र मु.नं. 281/2014 प्रभावी है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये कस्बा उदयपुरवाटी में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3059 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिणी हिस्से में नजरी नक्शें में दर्शित ए से बी स्थान तक 10 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 की खातेदारी शामलाती है जिसमें एक पर्टिकुलर खसरा नम्बर 3059 के लिए प्रार्थी ने रास्ता चाहा है। उक्त भूमि का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। शामलाती खातेदारी की भूमि में एक बहुत ही अल्प हिस्से के लिये एक सहखातेदार द्वारा अविभाजित विशिष्ट भू-भाग की भूमि के लिये रास्ता की मांग विभाजन के बाद कर सकता है। खसरा नम्बर 3060 में यहां से रास्ता चाहा गया है, उस स्थान पर तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट अनुसार दीवार एवं टीन सेड बना हुआ है। आवेदक भूमि खसरा नम्बर 3059 में छान छप्पर व बाड़ा बनाकर रह रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 3059 रकबा 0.68 हैक्टेयर अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के समय भूमि सहखातेदारी में दर्ज थी। एक बहुत ही अल्प हिस्से के सहखातेदार द्वारा वैकल्पिक मार्ग हेतु आवेदन सभी सहखातेदार द्वारा किया जा सकता है अथवा किसी सहखातेदार का मौके पर किये गये बाहमी बंटवारे के अनुसार उसके हिस्से अनुसार कब्जे की भूमि में आवागमन अवरूद्ध होने पर आवेदन किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वरवक्त आवेदन विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज थी एवं विभाजन के उपरांत विभाजन के नियमों के अनुसार रास्ते का प्रावधान सहखातेदारों के मध्य रखना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय मौका रिपोर्ट के अनुसार विधि सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार ग )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर